

यूरोपीय संघ ने क्रिप्टो वनियमन हेतु MiCA की शुरुआत की

प्रलिस के लिये:

[क्रिप्टोकॉर्सेसी](#), [वर्चुअल डिजिटल एसेट्स](#), [बटिकॉइन](#)

मेन्स के लिये:

[क्रिप्टोकॉर्सेसी बाज़ार में नयामक चुनौतियाँ](#), क्रिप्टो कॅरेसी एवं अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, [क्रिप्टोकॉर्सेसी और मनी लॉन्ड्रिंग](#), [क्रिप्टो के प्रता भारत का दृष्टिकोण](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपीय संसद ने क्रिप्टो संपत्ति बाज़ार (Markets in Crypto Assets- MiCA) वनियमन को मंजूरी दे दी है, यह नयिमों का वशिव का पहला व्यापक समूह है जिसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर अनयिमति [क्रिप्टोकॉर्सेसी](#) बाज़ारों को सरकारी वनियमन के तहत लाना है।

- यह वनियमन सदस्य देशों के औपचारिक अनुमोदन के बाद लागू होगा।
- यूरोपीय संसद [यूरोपीय संघ](#) का वधियायी नकियाय है।

MiCA:

परचिय:

- MiCA क्रिप्टो फर्मों हेतु वनियमन प्रथाओं को लाएगा। क्रिप्टो फर्मों को वनियमति करके MiCA वत्तीय क्षेत्र में जैसे- राउट एवं कन्टेजन को रोक सकता है जो अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावति कर सकते हैं।

- "राउट" का अर्थ है, जब लोग भय के कारण क्रिप्टोकॉर्सेसी बेचते हैं तो कीमतों में तेज़ी से गरिवट आती है।
- "कन्टेजन" इस संभावना को संदर्भति करता है कएक बाज़ार में गरिवट का अन्य बाज़ारों, वत्तीय संस्थानों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

- [क्रिप्टो संपत्ति](#) के प्रकार के आधार पर क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (CASPs) हेतु वनियमन आवश्यकताओं के वभिनिन समूहों को नरिधारति करता है।

■ MiCA के अंतरगत आने वाली संपत्तियाँ:

- MiCA कानून क्रिप्टो परसंपत्तियों पर लागू होगा, यह मुख्यतः "एक मूल्य या अधिकार का डिजिटल प्रतनिधित्व है, जो सुरक्षा हेतु क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है और एक सक्के या टोकन या कसिी अन्य डिजिटल माध्यम के रूप में होता है तथा जिसिे स्थानांतरति कयिा जा सकता है, साथ ही वतिरति बहीखाता तकनीक या इसी तरह की तकनीक का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत कयिा जाता है।
- इस परभिषा का तात्पर्य है कयिह न केवल [बटिकॉइन](#) और एथेरयिम जैसी पारंपरिक क्रिप्टोकॉर्सेसी पर लागू होगा, बल्क [सटैबलकॉइन्स](#) जैसी नई क्रिप्टोकॉर्सेसी पर भी लागू होगा।

- MiCA तीन प्रकार के सटैबलकॉइन्स के लयि नए नयिम भी स्थापति करेगा।

■ संपत्तियाँ जो MiCA के दायरे से बाहर होंगी:

- MiCA उन डिजिटल संपत्तियों को वनियमति नहीं करेगा जो हसतांतरणीय प्रतभित्तियों के रूप में योग्य होंगी और शेयरों या उनके समकक्ष तथा अन्य क्रिप्टो संपत्तियों की तरह कार्य करेंगी एवं जो पहले से ही मौजूदा वनियमन के तहत वत्तीय साधनों के रूप में योग्य हैं।
- यह [नॉन-फंजबिल टोकन \(NFT\)](#) को भी बाहर कर देगा।
- MiCA यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा जारी [केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं](#) और [यूरोपीय संघ के सदस्य देशों](#) के राष्ट्रीय केंद्रीय बैंकों

द्वारा जारी की गई डिजिटल संपत्तियों को भी नयित्तरि नहीं करेगा, जब वे मौद्रिक अधिकारों के रूप में अपनी क्षमता के साथ प्रदान की जाने वाली क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित सेवाओं के रूप में कार्य करेगा।

■ MiCA के तहत नए नियम:

○ CASP का वनियमन:

- CASP को यूरोपीय संघ में एक कानूनी इकाई के रूप में शामिल किया जाना चाहिये।
- वे किसी एक सदस्य देश में अधिकृत हो सकते हैं और सभी 27 देशों में काम कर सकते हैं।
- यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण जैसे नियामक CASP की नगिरानी करेंगे।
- CASP को स्थिरता, सुदृढ़ता और उपयोगकर्त्ता नधियों को सुरक्षित रखने की क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिये।
- CASP को बाजार के दुरुपयोग और हेर-फेर से बचाव करने में सक्षम होना चाहिये।

○ स्टैबलकॉइन सेवा प्रदाताओं के लिये श्वेत पत्र की आवश्यकता:

- स्टैबलकॉइन सेवा प्रदाताओं को क्रिप्टो उत्पाद और कंपनी में मुख्य प्रतभागियों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी के साथ एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिये। इसमें जनता के लिये प्रस्ताव की शर्तें, उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले ब्लॉकचेन सत्यापन तंत्र का प्रकार, प्रश्न में क्रिप्टो संपत्ति से जुड़े अधिकार, नविशकों के लिये शामिल प्रमुख जोखिम और संभावित खरीदारों को उनके नविश के संबंध में सूचित नरिणय लेने में मदद करने के लिये एक सारांश होना चाहिये।

○ स्टैबलकॉइन जारीकर्त्ताओं के लिये आरक्षित संपत्ति की शर्त:

- स्टैबलकॉइन जारीकर्त्ताओं को तरलता संकट से बचने के लिये उनके मूल्य के अनुरूप पर्याप्त भंडार बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
- स्टैबलकॉइन उपयोगकर्त्ताओं के लिये अपर्याप्त भंडार का अप्रत्याशित प्रभाव हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप अधिक क्षति हो सकती है।

○ स्टैबलकॉइन फर्मों (गैर-यूरो मुद्राओं) के लिये लेन-देन की सीमाएँ:

- गैर-यूरो मुद्राओं से जुड़ी स्थिर मुद्रा फर्मों को एक नरिदष्टि क्षेत्र में €200 मिलियन (\$220 मिलियन) की दैनिक लेन-देन सीमा (Daily Volume) के साथ नरिधारित करना होगा।
- लेन-देन की सीमा का उद्देश्य स्टैबलकॉइन से जुड़े जोखिमों और वित्तीय स्थिरता पर उनके प्रभाव का प्रबंधन करना है।

○ क्रिप्टो कंपनियों के लिये एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपाय:

- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण गतिविधियों को रोकने के लिये क्रिप्टो कंपनियों को अपने स्थानीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्राधिकरण को क्रिप्टो संपत्ति के प्रेषकों एवं प्राप्तकर्त्ताओं के बारे में जानकारी भेजनी चाहिये।
- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं का पालन करने में वफिलता क्रिप्टो कंपनियों की प्रतषिठा पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है।

○ कानून की आवश्यकता:

- वैश्विक क्रिप्टो उद्योग का लगभग 22% मध्य, उत्तरी और पश्चिमी यूरोप (\$1.3 ट्रिलियन मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति) में केंद्रित है, MiCA जैसा एक व्यापक ढाँचा है जिससे अमेरिका या ब्रिटेन की तुलना में यूरोपीय संघ को अपने विकास में प्रतसिपर्द्धात्मक बढ़त मिलेगी।
- बढ़ते नविश और क्रिप्टो उद्योग के आकार ने दुनिया भर के नीति नरिमाताओं को स्थिरता सुनश्चिति करने के लिये क्रिप्टो फर्मों में शासन प्रथाओं को सुनश्चिति करने हेतु प्रेरित किया है।

○ महत्त्व:

- यह FTX (Futures Exchange) संकट के बाद भी क्षेत्र में अपने वशिवास को बहाल करते हुए उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से सुरक्षित रखेगा। यह क्रिप्टो संपत्ति और CASP जारीकर्त्ताओं के लिये अनुपालन सुनश्चिति करेगा।

क्रिप्टोकॉरेंसी को वनियमित करने के मामले में भारत की स्थिति:

- क्रिप्टो संपत्तियों के लिये भारत के पास अभी तक एक व्यापक नियामक ढाँचा नहीं है हालाँकि इस पर एक मसौदा कानून कथित तौर पर काम कर रहा है।

- वर्ष 2017 में RBI ने चेतावनी जारी की कि आभासी मुद्राएँ/क्रिप्टोकॉरेंसी भारत में कानूनी नविदि नहीं हैं।

○ हालाँकि आभासी मुद्राओं पर कोई प्रतबिंध नहीं लगा।

- वर्ष 2019 में RBI ने जारी किया कि क्रिप्टोकॉरेंसी में व्यापार, धारण अथवा हस्तांतरण/उपयोग भारत में वित्तीय दंड या/और 10 वर्ष तक के कारावास की सज़ा के अधीन है।

○ सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 में भारत में RBI द्वारा क्रिप्टोकॉरेंसी पर लगाए गए प्रतबिंध को हटा दिया।

- वर्ष 2022 में भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2022-23 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी आभासी मुद्रा/क्रिप्टोकॉरेंसी संपत्ति का हस्तांतरण 30% कर कटौती के अधीन होगा।

- जुलाई 2022 में RBI ने देश के मौद्रिक और राजकोषीय व्यवस्था के लिये 'अस्थिर प्रभाव' का हवाला देते हुए क्रिप्टोकॉरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सफ़ारिश की थी।
- भारत ने दिसंबर 2022 में अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) अथवा ई-रुपया लॉन्च किया। यह अभी अपने पायलट/आरंभिक चरण में है।
- सरकार ने ब्लॉकचेन तकनीकी के उपयोग और सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) जारी करने की संभावना का पता लगाने के लिये एक पैनल भी स्थापित किया है।
- हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गजट अधिसूचना के माध्यम से आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) अथवा क्रिप्टोकॉरेंसी को PMLA के तहत शामिल किया है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

??????:

प्रश्न. "ब्लॉकचेन तकनीकी" के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2020)

1. यह एक सार्वजनकि खाता है जसिका हर कोई नरिीकषण कर सकता है, लेकनि जसिे कोई भी एक उपयोगकर्त्ता नयित्तरति नहीं करता।
2. ब्लॉकचेन की संरचना और अभकिल्प ऐसा है कडिसका समूचा डेटा क्रपिटो करेंसी के वषिय में है।
3. ब्लॉकचेन के आधारभूत वशैषताओं पर आधारति अनुप्रयोगों को बनिा कसिी की अनुमति के वकिसति कयिा जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2
- (d) केवल 1 और 3

उत्तर: d

??????:

प्रश्न. चर्चा कीजयि की कसि प्रकार उभरती प्रौद्योगकियिों और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रगि में योगदान करते हैं। राष्ट्रिय एवं अंतर्राष्ट्रिय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रगि की समस्या से नपिटने के लयि कयि जाने वाले उपायों को वसितार से समझाइये (2021)

सरोत: द हदि